न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 317/2015

वादीगण :-

1. भगवानसिंह पुत्र देवासिंह
2. रामपालसिंह पुत्र देवासिंह
3. रतनसिंह पुत्र देवासिंह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र देवासिंह
5. शान्ति देवी पत्नि देवासिंह

जातियान-रावत, निवासी-रास
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सोहनसिंह पुत्र देवीसिंह
2. गणपतसिंह पुत्र देवीसिंह
3. रामेश्वरसिंह पुत्र देवीसिंह

जातियान-रावत, निवासी- रास
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

4. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तारीख रजू: 03/07/2015

उपस्थितः. 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/07/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - रास पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 136/1 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 137 रकबा 14-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 9-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-3 कुल रकबा 24-02 बीघा तथा खसरा नम्बर 136 रकबा 22-07 बीघा किस्म बारानी दोयम इत्यादि खसरान् की कृषि भूमि आई हुई हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि हैं, जिसे वाद-पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया गया हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में बांहमी बंटवाड़ा हो रखा हैं और वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हक हिस्सेनुसार शांतिपूर्ण ढ़ंग से काश्त करते हैं तथा भूमि का स्वतंत्र व शांतिपूर्वक उपयोग / उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित भूमि के पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम थी। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता आपस में रक्त संबंधी सगे भाई थे, जो उक्त खसरान् की भूमि में 1/3 हिस्से व 1/3 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार थे और 1/3 हिस्से की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के बड़े भाई लाडूसिंह काबिज खातेदार काश्तकार थे। उक्त वर्णित खसरान् की भूमि में से 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता देवासिंह एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने शामलाती रूप में मदनसिंह पुत्र लाडूसिंह से खरीद कर लिया। इस प्रकार उक्त खसरान् की भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/2-1/2 हिससा यानि कि बराबर-बराबर भूमि का हिस्सा आता हैं। वादीगण के पिता देवासिंह एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने उक्त खसरान् की भूमि में से 1/3 हिस्सा खरीद किया। उस समय पंजीबद्ध बेचाननाम तैयार करवाया। जिसमें मानवीय भूल व गलती के कारण वादीगण के पिता देवासिंह के नाम के स्थान पर देवीसिंह दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दिया, जो गलत हैं। इस प्रकार वादीगण के पिता के नाम का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं तथा वादीगण राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण के पिता का सही नाम देवासिंह होने के समर्थन में उक्त खसरान् की भूमि में पहले से खातेदार काश्तकार देवासिंह के रूप में दर्ज होने बाबत् जमाबन्दी संलग्न हैं तथा वादीगण के पहचान-पत्र इत्यादि की फोटो प्रतियाँ भी प्रस्तुत हैं। वाद कारण दिनांक 22/06/2015 को उत्पन्न हुआ। जब वादीगण में बैंक से ऋण लेने हेतु संबंधित हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की और प्रतिवादीगण से सम्पर्क करने पर प्रतिवादीगण द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती व राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने से ईन्कार करने से वाद कारण उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रखा हैं। वाद-पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी हैं, जिनको वाद-पत्र में पक्षकार बनाने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वाद की परिस्थितियाँ इस प्रकार उत्पन्न हो रखी हैं कि कानूनी अवधि का नोटिस देकर इन्तजार किया जाने तक वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए कानूनी अविध के नोटिस बाबत् 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अनुमति ली जाकर वाद-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त कारणों से वाद-पत्र वादीगण के हक में बखूबी प्रथम दृष्टिया साबित हैं तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी वादीगण को होगा। वाद-पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान् को क्षैत्राधिकार में उत्पन्न होने एवं माननीय न्यायालय श्रीमान् के सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त होने से वाद-पत्र सादर प्रस्तुत हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। राजस्व शिविर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी एवं वादी ने राजीनामा के स्वीकार किया हैं कि वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह गलत दर्ज हो गया। जबकि वास्तविक नाम देवासिंह हैं। सबूत में आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की हैं। वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह के स्थान पर देवासिंह को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 136/1 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 137 रकबा 14-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 9-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-3 कुल रकबा 24-02 बीघा तथा खसरा नम्बर 136 रकबा 22-07 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का गलत दर्ज नाम देवीसिंह के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम देवासिंह दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. भगवानसिंह पुत्र देवासिंह
2. रामपालसिंह पुत्र देवासिंह
3. रतनसिंह पुत्र देवासिंह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र देवासिंह
5. शान्ति देवी पत्नि देवासिंह

जातियान-रावत, निवासी-रास
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सोहनसिंह पुत्र देवीसिंह
2. गणपतसिंह पुत्र देवीसिंह
3. रामेश्वरसिंह पुत्र देवीसिंह

जातियान-रावत, निवासी- रास
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

4. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 317/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 136/1 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 137 रकबा 14-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 9-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-3 कुल रकबा 24-02 बीघा तथा खसरा नम्बर 136 रकबा 22-07 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का गलत दर्ज नाम देवीसिंह के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम देवासिंह दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		
मिजानः-	06	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner